न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते. (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 50/2020 निगरानी

उनवान

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री प्रभुलाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत सगरेव जरिये सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी, सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

—— निगराकार

——गैर निगराकारान

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सगरेव का पट्टा संख्या 50 आदेश दिनांक 20.06.2017 निरस्ती बाबत।

उपस्थित :— 1. श्री राकेश कुमार सुराणा — अधिवक्ता निगराकार
2. श्री मुकेश कुमार चौधरी — अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1
3. गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय दिनांक :20.10.2021

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा जरिये अधिवक्ता यह निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 50 आदेश दिनांक 20.06.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सगरेव के सरपंच दशरथ ढोली एवं ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल सुवालका ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में प्रभुलाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी सगरेव को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत् दिनांक 20.06.2017 पट्टा क्रमांक 50 जारी किया गया। दुबारा इसी भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.07.2017 के रामलाल पिता मांगीलाल गुर्जर के पक्ष में पट्टा क्रमांक 8 जारी किया। इसके संदर्भ में प्रभुलाल गुर्जर ने लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टा आवंटन में ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी पत्रावली में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की अवहेलना की गई है। उक्त पट्टा खाली भूखण्ड का बनाया गया है जो कि राजंस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विपरीत है। उक्त पट्टा प्रभुलाल गुर्जर के बाद इसी भूखण्ड का पट्टा रामलाल पिता मांगीलाल गुर्जर के नाम का पट्टा संख्या दिनांक 27.07.2017 को जारी कर दिया। इस प्रकार एक भूखण्ड को पट्टा दोनो व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.06.2017 को खारिज कराना फरमावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार चौधरी ने अधिकार पत्र पेश कर जवाब प्रस्तुत किया जिसकी नकल अधिवक्ता निगराकार को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिये ग्राम पंचायत सगरेव में आवेदन करने के पश्चात ग्राम पंचायत सगरेव ने सम्पूर्ण जांच कर उभय पक्षों को सुना जाकर उक्त पश्तैनी मकान का पट्टा मुझ गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया उसके बाद उक्त पट्टे का पंजीयन कराया गया उसके बाद ग्राम पंचायत के चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी ने सचिव से मिलकर एक नया पट्टा जारी कर दिया जो विधि के विरूद्ध था जिसे गैरनिगराकार को विवश होकर ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर के यहां परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा जो अभी वर्तमान में जैर कार्यवाही है। उक्त पट्टा भूखण्ड का नहीं बना हुआ होकर उक्त पट्टा मकान का बना हुआ है और उस लाईट कनेक्शन एवं नल कनेक्शन भी ले रखा है जो काफी पुराना है और इसके अलावा उक्त पट्टेशुदा भूमि पर एक रसोई व कमरों का निमार्ण कर रखा है जो करीब 50 वर्ष पुराना निर्माण है जिसे न्यायहित में मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मकान की वस्तुस्थिति देखी जा सकती है। उक्त मकान से बेदखल करने के लिये ग्राम पंचायत के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने ग्राम पंचायत से मिली भगत करके उक्त मकान का दूसरा पट्टा जिसकी संख्या 8 है, जारी किया गया जो विधि के विरूद्ध है जिससे मुझ गैर निगराकार संख्या 1 का पट्टा विधिवत रखा जाकर 8 का ही खारिज किया जावें। निगराकार की निगरानी विधि के विपरित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक भूखण्ड का पट्टा दो व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.06.2017 को खारिज कराना फरमावें। गैर निगराकार अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से मकान का पट्टा संख्या 50 जारी किया गया। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके उक्त मकान का दूसरा पट्टा संख्या 08 जारी किया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः निवेदन है कि पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी पट्टा विधिवत रखा जावें एवं निगराकार की निगरानी खारिज की जावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि ग्राम पंचायत सगरेव के ग्राम ग्राम जगपुरा के पत्रावली संख्या 11 से संबंधित आवेदनकर्ताओं के पुश्तैनी मकान का मौका स्थिति अनुसार सभी मकान 50 वर्षों से के बने हुए है तथा सभी मकान विवाद रहि है एवं सभी मकान अपने पिता/पति के अधिकार से प्रार्थियों को प्राप्त हुए है जिसे इन्हें पुश्तैनी पट्टा देना उचित है। पत्रावली के अवलोकन एवं निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी से प्रभुलाल पिता चुन्ना गुर्जर को पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.06.2017 को जारी किया जाना एवं उसी भूखण्ड/सम्पत्ति का बाद में दिनांक 27.07.2017 को पट्टा संख्या 08 रामलाल पिता मांगीलाल गुर्जर के पक्ष में जारी किया जाना पाया गया है किन्तु निगराकार द्वारा बाद में दिनांक 27.07.2017 को जारी पट्टा संख्या 08 की कोई भी छायाप्रति अथवा अन्य कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है जिससे दिनांक 27.07.2017 को जारी पट्टा संख्या 08 जो कि बाद में जारी किया गया है, संदेहास्पद प्रतीत होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व रिकॉर्ड के आधार पर ग्राम पंचायत सगरेव, तहसील रायपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 श्री प्रभूलाल पुत्र चुन्ना गुर्जर को जारी पट्टा संख्या 50 दिनांकित 20.07.2017 में कोई कानूनी त्रुटि करना परिलक्षित नहीं होता है जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव

आदेश

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सगरेव, पंचायत समिति, रायपुर जिला भीलवाड़ा की पत्रावली संख्या 10 से जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.07.2017 को यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ मय तलबिदा रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत, सरगेव तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा